

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

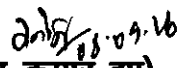
:: आदेश ::

पटना-15, दिनांक- 8.9.24

संख्या-21/अ0पि0व0आ0-01/2024, सा.प्र.- 16408/ सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के नियंत्रणाधीन बिहार सचिवालय लिपिकीय सेवा के निम्नलिखित पदाधिकारियों को स्तम्भ-3 में अंकित विभाग/कार्यालय से स्तम्भ-4 में अंकित विभाग/कार्यालय में 03 महीने तक के लिए प्रतिनियुक्त किया जाता है:-

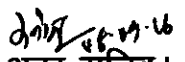
क्र0	पदाधिकारी का नाम,	पदनाम एवं वर्तमान पदस्थापन	नव पदस्थापन/ प्रतिनियुक्ति
1	2	3	4
1.	श्री रवि रंजन कुमार	कनीय सचिवालय सहायक, आयुक्त कार्यालय, पटना प्रमंडल, पटना।	अति पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग, पटना।
2.	श्री राकेश कुमार	कनीय सचिवालय सहायक, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना।	अति पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग, पटना।

2. प्रतिनियुक्त कर्मी अविलंब नव प्रतिनियुक्त कार्यालय में योगदान देना सुनिश्चित करेंगे।
3. 03 महीने के बाद प्रतिनियुक्ति स्वतः समाप्त हो जायेगा।
4. उक्त में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।


(मनोज कुमार झा)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक:-21/अ0पि0व0आ0-01/2024, सा.प्र.- 16408/ पटना-15, दिनांक- 8.9.24

प्रतिलिपि:- आयुक्त के सचिव, आयुक्त कार्यालय, पटना प्रमंडल, पटना/सचिव, अति पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग, पटना/अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा-04, सामान्य प्रशासन विभाग/श्री रवि रंजन कुमार, कनीय सचिवालय सहायक, आयुक्त कार्यालय, पटना प्रमंडल, पटना/श्री राकेश कुमार, कनीय सचिवालय सहायक, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना एवं आई0टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


सरकार के अवर सचिव।